FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

आम जनता ग्राम बासना बनाम सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम   नम्बर 04–सन्– 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.24	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1186/3 रकबा 0.50है. भूमि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.06.1989 को आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1186/3 है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1186 में से आवंटित की गई थी जो फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से आवंटित की गई थी। आवंटन कमेटी का आदेश बाबत आवंटन खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत है। आवंटित की गई भूमि खसरा नंबर 1186/3 आज दिनांक तक ना तो जमाबंदी में दर्ज हुई है और ना ही नक्शा मौका में तरमीम की गई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.06.1989 आवंटित भूमि खसरा नंबर 1186/3 में पटवारी रिपोर्ट भी सम्मिलित नहीं थी। पटवारी रिपोर्ट आवंटन दिनांक 01.06.1989 को पेश न कर साजपूर्ण तरीके से दिनांक 04.06.1989 को पेश की गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा फ्रॉडपूर्ण व साठगांठ कर पेश की गई। जिस व्यक्ति के नाम आवंटन किया गया है वह ग्राम बासणा की वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं है तथा ग्राम बासणा का रहने वाला भी नहीं है। आज दिनांक तक आवंटन नियमावली की कोई पालना नहीं हुई है। ना ही रिकार्ड व मौके पर उक्त खसरा नंबर 1186/3 दर्ज है ऐसी सूरत में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नंबर 1186/3 के आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1989 को निरस्त फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप खवारावजी में दिनांक 01.06.1989 को आवंटी बसन्ती लाल पुत्र फूंदीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बासणा को ग्राम बासणा स्थित भूमि खसरा नंबर 1186 रकबा 0.50है. भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने से आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त हो गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय का समय बर्बाद करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप खवारावजी द्वारा दिनांक 01.06.1989 को ग्राम बासणा स्थित आराजी खसरा नंबर 1186/3 में से 0.50है. भूमि का आवंटन बसन्तीलाल पुत्र फूंदीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बासणा को आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा आवंटी को जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि आवंटी प्रभावित पक्षकार है। भूमि की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी आवंटी के नाम नहीं है। आवंटित की गई भूमि खसरा नंबर 1186/3 आज दिनांक तक ना तो जमाबंदी में दर्ज हुई है और ना ही नक्शा मौका में तरमीम की गई है। आवंटी के नाम खातेदारी अथवा गैर खातेदारी बाबत कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। साथ ही धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत बिना आवंटी को सुनवाई का अवसर दिये आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा आवंटी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। भविष्य में नये तथ्य सामने आने [illegible]ीलदार एवं अन्य व्यक्ति के आवेदन/प्रार्थना पत्र पर पुनः 14(4) आवंटन [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पत्रावली [illegible] हो। पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 10:35:08 IST Reason: SelfAttested Devendra जिला कलक्टर दौसा सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	